

पालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर जिला अलवर

2/31/2022

तारीख रजु.....

शुभम

बनाम

जगदीश वगैरा

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
-------	------------------------------------	---

02.2022

वकील प्रार्थी उपस्थित। यह प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वकील प्रार्थी ने मूल वाद के साथ पेश किया। प्रार्थना पत्र की ताईद मे वकील सायला ने शपथ पत्र नकल जमाबंदी हाल पेश की व अप्रार्थीगण को पाबंद कराने का निवेदन किया वकील सायल को एक पक्षीय सुना गया व पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का संतुलन एवं ना पूर्ति होने वाली क्षति सायल के, पक्ष में बखूबी सावित है।

अतः अप्रार्थीगण को जयें अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा आगामी पेशी/तारीख तक पाबंद किया जाता है कि आराजी खसरा नं0 1047, 1409, 1399, 1400, 1413, 1414, 1426, 1471, 1415, 1424, 1404, 1404/2228, 1408, 1410, 1366, वाके ग्रम भनोखर तहसील कठूमर के विवादीत आराजीयात में रिकॉर्ड की यथास्थिति वनायें रखे। चूंकि एक्स पार्टी स्थगन जारी किया जा रहा है ऐसे में अप्रार्थी में से किसी के उपस्थित होकर वहस के लिए कहने पर वकिल प्रार्थीगण को अनिवार्यत बहस करनी होगी, अन्यथा एक्सपार्टी स्थगन स्वतः निरस्त समक्षा जावें।

अप्रार्थीगण को नोटिस हो कि उक्त आदेश बाबत कोइ उज्र हो तो दिनांक 28.02.2022 को पेश करें कि क्यों ना उक्त आदेश को दावा के निर्णय तक स्थाई कर दिया जावे। अप्रार्थी जरिये रजि0 डाक नोटिस तलब हो पत्रावली दिनांक 28.02.2022 को वास्ते तलबी अप्रार्थी पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)
कठूमर (अलवर)

28/1/22

उपास्थान
माहिक आदेश दिनांक..... 4.2.22
जो वास्तु में पत्रावली वास्ते..... 2/4/22
दिनांक..... 2/4/22 को पेश हो

353

29/3/2022



कठूमर (अलवर)

~~26/4/24~~

खण्ड अधिकारी
कठमर (अलावर)

26/4/24

पत्रावली फेंक दी कनील अभी उपनिषद नहीं
कनील अभी को का का कवाज डिलाई
गई। कोई उपलब्ध नहीं आये कत, पार्सना
पत्र 212 RTA के फुल हजाई व फुल पत्र
में खारिज किया जाता है पत्रावली फेंक ल
शुभ होकर नम्य से काम हो नाहवमी
जाला उचित शूल वह के सलान रहे हके

~~26/4/24~~

खण्ड अधिकारी
कठमर (अलावर)